



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233534
CG-DL-E-17022022-233534

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943

No. 690]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

का.आ. 709(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज (3)
एनई 4सी	राजस्थान राज्य में श्यामनगर (बांदीकुई) के निकट एनई-4 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खुरी खुर्द को जोड़ने वाला और बगराना के निकट एनई-4 के स्पर के रूप में रारा-21 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	किमी. 0.000 से किमी. 66.916

[फा.सं. एनएच-14013/5/2022-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2022

S.O. 709(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of National Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage (3)
NE 4C	The Expressway starting from its junction with NE 4 near Shyamsinghpura (Bandikui) connecting Khuri Khurd and terminating at its junction with NH-21 near Bagrana in the state of Rajasthan as spur of NE 4.	Km. 0.000 to Km. 66.916

[F. No. NH-14013/5/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director